NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

नार्थ सेन्ट्रल रेलवे इम्पलाईज संघ

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No :261/NCRES/2020 Date : 20.11.2020

श्रीमान मुख्य कार्मिक अधिकारी (आई.आर)
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज

विषय :– LARSGESS के अन्तर्गत दिनांक 27.10.2017 के पूर्व मेडिकल जांच में फिट घोषित किये गये अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने हेतु निर्देश जारी किया जाना।

सन्दर्भ :– (i) NCRES का पत्र दिनांक 26.8.2019, 28.10.2019, 6.12.2019, 9.12.2019, 10.1.2020, 12.2.2020, 26.5.2020 व 4.8.2020
(ii) प्रधान कार्यालय का पत्र सं. 797–ई/उमरे/एसआरआरएस/लार्जेस/रिप./19–20 दिनांक 12.11.2020

महोदय,

अवगत कराना है कि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे इम्पलाईज संघ (NCRES) ने LARSGESS के अर्न्तगत 27.10.2017 के पहले मेडिकल जांच मे फिट घोषित किये गये अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के लिये सन्दर्भित पत्रों द्वारा अनुरोध किया, जिसपर प्रधान कार्यालय ने अपने पत्र दिनांक 24.1.2020 द्वारा आगरा मंडल के 24 अभ्यर्थियों को, दिनांक 31.1.2020 के पत्र द्वारा झांसी मंडल के 23 और पत्र दिनांक 14.10.2020 द्वारा झांसी मंडल के 40, आगरा के एक व उप मुख्य इंजीनियर (ब्रिज) प्रयागराज के 2, इस प्रकार कुल 24+23+40+1+2 = 90 अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने के लिये आदेश जारी किया गया, लेकिन NCRES को सूचित नही किया गया।

NCRES ने महाप्रबन्धक महोदय से जब बताया कि NCRES के पत्रों पर की गई कार्यवाही से NCRES को अवगत नही कराया जाता तब महाप्रबन्धक ने NCRES को अवगत कराने का निर्देश दिया लेकिन खेद के साथ अवगत कराना है कि प्रधान कार्यालय ने संदर्भित पत्र सं. 797–ई/उमरे/एसआरआरएस/लार्जेस/रिप./19–20 दिनांक 12.11.2020 (संलग्न) में नार्थ सेन्ट्रल रेलवे इम्पलाईज संघ (NCRES) के बजाय **उत्तर मध्य रेलवे कर्मचारी संघ (UMRKS) को उपरोक्त नियुक्तियों के सम्बन्ध में अवगत कराया जो मान्यता प्राप्त यूनियन नही है और इस यूनियन द्वारा प्रधान कार्यालय के पत्र दिनांक 12.11.2020 के सहारे नार्थ सेन्ट्रल रेलवे इम्पलाईज संघ (NCRES) की छवि को धूमिल किया जा रहा है।**

NCRES का अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में शुद्धि पत्र जारी किया जाय ताकि भ्रामक प्रचार बन्द हो सके और यह भी अनुरोध है कि जारी किये जाने वाले शुद्धि पत्र में LARSGESS के तहत नियुक्ति प्रदान करने के लिये जारी प्रधान कार्यालय के आदेश दिनांक 24.1.2020, 31.1.2020 और 14.10.2020 का जिक्र किया जाय।

संलग्नः– प्रधान कार्यालय का सन्दर्भित पत्र दिनांक 12.11.2020

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री

10
13/11/20

उत्तर मध्य रेलवे

प्रधान कार्यालय,
जी–ब्लॉक, सूबेदारगंज,
प्रयागराज।

सं. 797–ई/उमरे/एसआरआरएस/लार्जेस/रिप./19–20

दिनांक: 12.11.2020

महामंत्री
उत्तर मध्य रेलवे कर्मचारी संघ
प्रयागराज।

विषयः– LARSGESS के अन्तर्गत दिनांक 27.10.2017 के पूर्व मेडिकल जांच में फिट घोषित किये गये झांसी मंडल के अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने हेतु निर्देश जारी किया जाना।

संदर्भः– आपका पत्रांक–149/NCRES/20 दिनांक 04.08.2020.

****

उक्त के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि LARSGESS के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों जिनकी नियुक्ति से सम्बन्धित सभी औपचारिकतायें मेडिकल फिटनेस के साथ दिनांक 27.10.2017 को पूर्ण हो चुकी थी उनके प्रकरण को (झांसी मंडल –40, आगरा मंडल–01 तथा ब्रिज लाईन–02) महाप्रबंधक महोदय द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया था जिसे संबंधित मंडल/युनिटों को प्रेषित कर दिया गया है, जिसकी प्रति आपको सूचनार्थ संलग्न की जा रही है।

12.XI.2020
(वी.पी.सिंह)
वकाधि/मुख्या.
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

संलग्नः यथोक्त ।

19/11/2020